उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– 176 /9–1–2024–38टी.ए./19
लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी 2024

अधिसूचना

चूँकि संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम 1914 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–दो सन् 1914) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचना संख्या–3769–टी/नौ–क–1(1)–11–66, दिनांक 14 अक्टूबर, 1971 द्वारा जिला गोरखपुर में नगर पंचायत मुण्डेरा बाजार का गठन किया गया था;

और चूँकि, राज्य सरकार ने नगर पंचायत मुण्डेरा बाजार, जिला गोरखपुर का नाम नगर पंचायत चौरी चौरा, जिला गोरखपुर परिवर्तित किये जाने का विनिश्चय किया है;

और चूँकि, भारत सरकार पत्र संख्या–11/3/2021–एम. & जी. दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 द्वारा नगर पंचायत मुण्डेरा बाजार, जिला गोरखपुर का नाम नगर पंचायत चौरी चौरा, जिला गोरखपुर परिवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नगर पंचायत मुण्डेरा बाजार, जिला गोरखपुर का नाम नगर पंचायत चौरी चौरा, जिला गोरखपुर परिवर्तित करती हैं।

2. राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक– 23 जनवरी, 2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) अनु सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
(2) मण्डलायुक्त, गोरखपुर, मण्डल, गोरखपुर।
(3) जिलाधिकारी, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(4) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) वेब मास्टर को नगर विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.- 176 /9-1-2024-38T.A./19, dated 23 January, 2024.

NOTIFICATION

No.- 176 /9-1-2023-38T.A./19
Lucknow; Dated: 23 January, 2024

WHEREAS Nagar Panchayat Mundera Bazar in District Gorakhpur was constituted under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the U.P. Town Areas Act, 1914 (U.P. Act no.II of 1914) by vide notification no.-3769-T/IX-A-1(1)-11-68, dated 14 October, 1971;

AND WHEREAS the State Government has decided to change the name of Nagar Panchayat Mundera Bazar, District Gorakhpur to Nagar Panchayat Chauri Chaura, District Gorakhpur.

AND WHEREAS the Government of India has given no objection for changing the name of Nagar Panchayat Mundera Bazar, District Gorakhpur to Nagar Panchayat Chauri Chaura, District Gorakhpur by the letter No.-11/3/2021-M&G, dated 6th October, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no. II of 1916) and sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act No. 8 of 2012), the Governor pleased to change the name of Nagar Panchayat Mundera Bazar, District Gorakhpur to Nagar Panchayat Chauri Chaura, District Gorakhpur with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

2. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law.

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary